

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/1665

दिनांक :- 15/07/2024

—:: ई-नीलामी सूचना ::—

—:: पालिका की अनुमोदित श्रीगणेश नगर आवासीय योजना में स्थित व्यावसायिक

भूखण्ड (दुकान प्रयोजनार्थ) खरीदने का सुनहरा अवसर ::—

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि नगर पालिका रावतभाटा द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत इस कार्यालय की अनुमोदित आवासीय योजना श्रीगणेश नगर, रावतभाटा के व्यावसायिक भूखण्डों को 99 वर्षीय लीज होल्ड राइट पर ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित भागीदारी शुल्क एवं धरोहर राशि (प्रति भूखण्ड) ऑनलाईन विभागीय वेबसाईट <https://lsgeauction.rajasthan.gov.in> अर्थात् LSG की ई-ऑक्शन पोर्टल पर एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से राशि जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। (नकद/चैक/डी.डी. के रूप में किसी भी प्रकार की राशि स्वीकार नहीं होगी) नीलामी की विस्तृत शर्तें व नियम भी ऑनलाईन ई-ऑक्शन पोर्टल (एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से) व कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं पालिका की वेबसाईट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/ulbrawatbhata> पर देखी जा सकती है।

अतः जो भी व्यावसायिक भूखण्ड (दुकान प्रयोजनार्थ) क्रय करने के इच्छुक हो, वह निर्धारित दिनांक व समय पर ई-नीलामी के माध्यम से बोली लगा सकते हैं।

नोट :- (1) धरोहर राशि दिनांक 22.07.2024 से प्रातः 10 बजे से नीलामी दिनांक से एक दिवस पूर्व तक सायं 5 बजे तक ऑनलाईन जमा की जावेगी।

श्रीगणेश नगर आवासीय योजना के व्यावसायिक भूखण्डों (दुकान प्रयोजनार्थ) का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रं. सं.	नीलामी की दिनांक व समय	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड की साईज एवं क्षेत्रफल	आरक्षित दर (लीज राशि गणना के लिये) प्रति वर्गफीट	न्यूनतम सरकारी बोली (प्रति वर्गफीट)	धरोहर राशि 2 प्रतिशत की दर से	धरोहर राशि जमा करने की दिनांक व समय
01	05.08.2024 प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक	बी	53X100= 5300 वर्गफीट	686/-	1228/-	1,30,168/-	04.08.2024 सायं 5 बजे तक
02	08.08.2024 प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक	डी	80X100= 8000 वर्गफीट	686/-	1228/-	1,96,480/-	07.08.2024 सायं 5 बजे तक

नोट :- नीलामी में शामिल किसी भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों के साथ कार्यालय में नीलामी दिनांक से पूर्व सम्पर्क करे बाद मियाद कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था की रहेगी।

नियम व शर्तें :-

1. भूखण्ड जहाँ है, जैसी स्थिति में है, उसी के आधार पर नीलाम किये जायेगे, अलग से कोई वांछना मान्य नहीं होगी।

लगातार.....2

SARVAJANIK SUCHANA

—10—
अध्यक्ष
नगर पालिका रावतभाटा


—11—
अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका रावतभाटा

2. इच्छुक बोलीदाता की अपनी स्वयं की SSO ID होना अनिवार्य है। नीलामी बोलीदाता नीलामी भागीदारी शुल्क एवं धरोहर राशि अपनी SSO ID से LOGIN कर G2C एप में LSG E-AUCTION लिंक पर अपनी प्रोफाईल बनाकर जमा करवाकर ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण पालिका की वेबसाईट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/ulbrawatbhata> पर देखा जा सकता है।
3. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु भागीदारी शुल्क (1500/- रुपये) प्रत्येक भूखण्ड की पृथक-पृथक रूप से देय होगी, जो नॉन रिफण्डेबल व समायोजन योग्य नहीं होगी।
4. नीलामी लगाने से पूर्व बोलीदाता को प्रत्येक भूखण्ड हेतु निर्धारित धरोहर राशि पृथक-पृथक जमा होने पर ही बोली में भाग ले सकेगे। उक्त धरोहर (अमानत) राशि ऑनलाईन ही जमा करवाना अनिवार्य होगा।
5. यह भूमि विक्रय राजस्थान नगर पालिका (भूमि निष्पादन) नियम 1974 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत की जा रही है।
6. नीलामी बोली में कॉर्नर प्लॉट पर देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि नीलामी बोली प्रारम्भ की राशि में शामिल कर ही नीलामी आयोजित की जा रही हैं।
7. जिस बोलीदाता के नाम से भूखण्ड की अन्तिम नीलामी बोली समाप्त होगी, उस अन्तिम बोलीदाता के द्वारा भूखण्ड की बोली राशि की 15 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक के तीन कार्य दिवस के भीतर जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त राशि जमा कराने में विफल रहने पर बोलीदाता द्वारा जमा करवायी गई धरोहर राशि जप्त की जाकर नीलामी स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
8. अन्तिम नीलामी बोली उस समय तक अस्थाई रहेगी, जब तक स्वीकार न की जावे।
9. उपरोक्त नीलामी पालिका द्वारा गठित नीलाम समिति के पर्यवेक्षण में सम्पादित की जावेगी, समिति की अभिशंषा पर ही नीलामी बोली स्वीकार/अस्वीकार का निर्णय लिया जावेगा।
10. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी बोली की कुल राशि की 35 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक से 120 दिवस के भीतर जमा कराना आवश्यक होगा, निर्धारित अवधि में 35 प्रतिशत राशि जमा कराने में विफल रहता है तो उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद अगले 60 दिनों में या विस्तारित समयावधि के भीतर शेष राशि पर नीलामी दिनांक से 09 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित राशि जमा करवा सकेगा।
11. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी दिनांक से 180 दिन के भीतर बोली की शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करवाना आवश्यक होगा, यदि बोलीदाता नीलामी दिनांक से 180 दिवस के भीतर शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने में विफल रहता है तो उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद 90 दिवसों में नीलामी दिनांक से 09 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित राशि जमा करवा सकेगे। विस्तारित समयावधि के भीतर बोलीदाता राशि जमा करवाने में विफल रहता है तो विफलता के मामले में प्रारम्भ में जमा की गई समस्त राशि जप्त की जाकर नीलामी स्वतः ही निरस्त मान्य होगी।
12. यदि सफल बोलीदाता डिमाण्ड नोटिस (मांग पत्र) के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि जमा करवाता है तो उसे बोली राशि की 1 प्रतिशत छूट दी जावेगी। भूखण्डों की सम्पूर्ण राशि ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य होगा।
13. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि का समायोजन नीलामी बोली की शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करवाते समय कर लिया जावेगा।
14. भूखण्ड 99 वर्षीय लीजहोल्ड पर अरबन अससमेन्ट/ग्राउण्ड रेन्ट के आधार पर विक्रय किया जावेगा। जिसकी लीज राशि व्यावसायिक आरक्षित दर पर 5 प्रतिशत एवं आवासीय आरक्षित दर पर 2.5 प्रतिशत नियमानुसार क्रेता को जमा करानी होगी। एकमुश्त 8 वर्षीय लीज राशि जमा कराने पर भूखण्ड को लीज मुक्त किया जायेगा।
15. 99 वर्षीय शाश्वत लीज डीड (पट्टा विलेख) का विधिवत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जिसके स्टाम्प, पंजीयन शुल्क एवं नक्शा आदि का व्यय क्रेता का होगा।
16. बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पालिका रावतभाटा के पास सुरक्षित रहेगा। जिसका कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

लगातार.....3


अध्यक्ष

SARVAJANIK SUCHANA नगर पालिका रावतभाटा


अधिसाक्षी अधिकारी

नगर पालिका रावतभाटा

17. बोली लगाने के दौरान किसी भी भूखण्ड में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस भूखण्ड की बोली स्थगित/निरस्त करने का अधिकार नगर पालिका द्वारा गठित नीलाम समिति में निहित होगा।
18. नीलाम किये गये भूखण्ड पर कब्जा प्राप्ति की दिनांक से 3 वर्ष के अन्दर प्रचलित भवन विनियमों के तहत भवन निर्माण स्वीकृति एवं नक्शानुमोदन प्राप्त कर भूखण्ड क्रेता को भवन निर्माण करना होगा। यदि तीन वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं करवाया गया तो नियमानुसार विस्तारित अवधि में निर्माण करवाना आवश्यक होगा अन्यथा बाद अवधि भूखण्ड का नीलामी द्वारा विक्रय एवं लीज डीड स्वतः ही निरस्त मान्य होगी।
19. ई-ऑक्शन में प्राप्त सर्वाधिक बोली की स्वीकृति पर नीलाम समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
20. अन्य सभी राजकीय नियमों/आदेशों (समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों) की पालना क्रेता को करनी होगी तथा भविष्य में इन भूखण्डों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई नियम/उपनियम लागू किये जावेगे तो वह मान्य होंगे।
21. स्वीकृत बोलीदाता को भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा कराने के उपरान्त ही भौतिक कब्जा सम्भलाया जावेगा, सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का निर्माण एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमत नहीं होगी।
22. नीलामी बोली समाप्त होने के अन्तिम 05 मिनट में निरन्तर बोली प्राप्त होने की स्थिति में अगले 05 मिनट तक समय बढ़ता रहेगा। बढ़ाये गये 05 मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो नीलामी बोली स्वतः ही बन्द हो जायेगी।
23. उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की धरोहर राशि सत्यापन बाद लौटा दी जावेगी।
24. ई-नीलामी में प्रत्येक भूखण्डों की बोली में न्यूनतम 05/- रुपये प्रति वर्गफीट के गुणांक में बोली बढ़ायी जानी होगी।
25. बोलीदाता ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व साईट विजिट कर सकते हैं।
26. उपरोक्त भूखण्डों का मौके पर क्षेत्रफल कम या ज्यादा होने की स्थिति में उसके आधार पर ही राशि जमा करवानी होगी।
27. ऑनलाईन प्रोफाईल प्रमाणीकरण में लगभग 24 घण्टे का समय लग सकता है। अतः समस्त प्रक्रिया नीलामी दिनांक से पूर्व ही करवा लेवे।
28. भूखण्ड का भौतिक कब्जा, पंजीकृत लीज डीड (पट्टा) की प्रति कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त अधिकतम 03 माह के अन्दर प्राप्त करना होगा (जिसके प्रमाण स्वरूप कब्जा पत्र प्राप्त करना होगा) अन्यथा 500/- रुपये प्रतिमाह की दर से शास्ती वसूल की जावेगी।
29. अन्य जानकारी के लिये कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा में सम्पर्क करे। सम्पर्क सूत्र श्री अरविन्द तोमर, कनिष्ठ अभियन्ता (मो.नं. 7734815011), श्री चौथमल शर्मा, वरिष्ठ सहायक (मो.नं. 9414783559), श्री अमित सिंह, कनिष्ठ सहायक (मो.नं. 9461058762)।

नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. नगर पालिका रावतभाटा द्वारा आयोजित आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों व निर्मित दुकानों की ई-नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने हेतु विभागीय वेबसाईट <https://lsgeauction.rajasthan.gov.in> पर क्लिक करे।
2. इसके पश्चात् ई-नीलामी में ऑनलाईन भाग लेने के लिए क्लिक करें, इसके उपरान्त SSO ID विण्डो ओपन होगी।
3. SSO ID से Login कर LSG E-AUCTION एप पर अपनी प्रोफाईल बनाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
4. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए दूरभाष नं० 9461058762 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ई-नीलामी पोर्टल पर आवेदक को अपनी बिडिंग प्रोफाईल, आवश्यकता अनुसार दस्तावेजों एवं सिस्टम द्वारा चाही गई सूचनाओं को अद्यतन (Upload) किया जाना होगा। अतः आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व उक्तानुसार प्रक्रिया समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करे। प्रोफाईल अनुमोदित होने के पश्चात् ही बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने योग्य होगा।

लगातार.....4


अध्यक्ष
नगर पालिका रावतभाटा

SARVAJANIK SUCHANA


अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका रावतभाटा

//4//

5. नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा में सम्पर्क कर एवं वेबसाईट <https://lsgeauction.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।


(मधु कंवर हाडा)

अध्यक्ष
नगर पालिका, रावतभाटा


(मुकेश नागर)

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, रावतभाटा

क्रमांक/नपारा/भूमि/ 2024-25/1666-75

दिनांक :- 15/07/2024

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर (राज0)।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ़ को सूचनार्थ।
3. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर (राज0)।
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, रावतभाटा।
5. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका, रावतभाटा।
6. समस्त सदस्यगण, नीलाम समिति, नगर पालिका, रावतभाटा।
7. श्री अरविन्द तोमर, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका रावतभाटा को भेजकर लेख है कि उक्त ई-नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की सुनिश्चितता करे, साथ ही उपरोक्त सभी भूखण्डों के अनुमोदित ले-आउट प्लान एवं मौका स्थिति अनुसार साईट प्लान तैयार कराकर 3 दिवस में भूमि शाखा में प्रस्तुत करवायेगे तथा नीलामी से 2 दिवस पूर्व नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखण्डों पर साईट प्लान अनुसार चुना लाईन डलवाकर डिमार्केशन सुनिश्चित करना होगा।
8. प्रभारी, स्टोर शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त ई-नीलामी सूचना के 1000 पेम्पलेट एवं 2 फलेक्स/बैनर 20X10 के बनवाकर पालिका क्षेत्र में उक्त ई-नीलामी की सूचना का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करवाना सुनिश्चित करेगे।
9. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका कार्यालय/उपखण्ड कार्यालय/तहसील कार्यालय एवं शहर के मुख्य चौराहो पर चस्पा हेतु।
10. सुरक्षित प्रति।


(मुकेश नागर)

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, रावतभाटा